

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक :- 12.08.2014

आयोग द्वारा दिनांक 05.06.2014 को आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2013 पेपर IV की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 05.06.14 को जारी करते हुये आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञों से जांच करवाने के उपरान्त **अंतिम** संशोधित उत्तर कुंजी दिनांक 12.08.2014 को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो प्रेस नोट की जारी होने की दिनांक से 3 दिवस अर्थात् 14.08.2014 तक अपनी आपत्ति आयोग को दर्ज करवा सकता है तथा पूर्व में प्राप्त आपत्तियों के अतिरिक्त नई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आपत्ति आवश्यक रूप से आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जाएं। निर्धारित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तीन दिन की अवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा वर्तमान में जारी की जा रही उत्तर कुंजी के आधार पर उक्त परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकेगा।

(अशोक कुमार शर्मा)
उप सचिव